**अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2022 (GCMS 2022/223)(आईटीआई पोर्टल नं. 2123491431280467) राजेन्द्र पाल सूद निवासी 371 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर – 335001 बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**04.01.2023**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी राजेन्द्र पाल सूद स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**अपीलार्थी ने कथन किया कि** उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 03.06.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तत कर सूचना चाही थी, किन्तु उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे सूचना से वंचित करने एवं परेशान करने हेतु जान बूझकर सूचना उपलब्ध नहीं करवायी है। सूचना उपलब्ध करवाने में कोई विधिक बाधा भी नहीं है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी राजेन्द्र पाल सूद ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2022 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. दुकान नं. 172 तहबाजारी, श्रीगंगानगर श्रीमान् कलक्टर पुर्नवास दिनांक 07.06.58 को किस व्यक्ति को आवंटन की गई, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे और आवंटित व्यक्ति के नाम की जानकारी दी जावे।
2. उक्त दुकान नं. 172 तहबाजार, श्रीगंगानगर कुल कीमत राशि जमा हो चुकी है या नहीं। इस तथ्य की जानकारी दी जावे, राशि जमा हो चुकी है, तो दिनांक बताये
3. उक्त दुकान नं. 172 तहबाजार श्रीगंगानगर का पट्टा जारी हो चुका हो तो पट्टा की प्रमाणित प्रति दी जावे।
4. अगर उक्त दुकान नं. 172 तहबाजार श्रीगंगानगर का पट्टा जारी नहीं किया गया हो तो पट्टा जारी ना किये जाने के कारण की जानकारी दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्र क्रमांक 116 दिनांक 08.08.2022 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आपका प्रार्थना पत्र 03.06.2022 का श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.22 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से इस कार्यालय को दिनांक 19.07.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें आप द्वारा दुकान नं. 172 तहबाजारी श्रीगंगानगर श्रीमान् जिला कलक्टर पुनर्वास से सम्बन्धित चाही गई है। वर्ष 1958–59 के बस्ते देखे गये जिसमें आप द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड मुताबिक जमा सूची कोई रिकार्ड जिला अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया गया है। अतः सूचना दी जाना संभव नहीं है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा** अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है **कि वांछित सूचना उनके कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना व[illegible] **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप** [illegible] से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपने पत्र दिनांक 08.08.2022 से अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है कि उनके पास वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं**

**अतः उक्त विवेचन अनुसार** अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर